

N C Railway

Letter No.-EO/Gaz/Med/CMP/2024/ PRYJ  
Dated 17.05.2024

Division Railway Manager  
N. C. Railway, Pryagraj

Chief Public Relation Officer  
N. C. Railway, Pryagraj


Sub:- Advertisement for publication in newspaper to filing up 06 CMP Doctors in  
Medical department in Pryagraj Division on contract basis.

\*\*\*\*\*

The notification for publication to fill up 06 posts of Contact Medical Practitioner  
in Prayagraj Division on contract basis as policy decided by GM (P) /NCR/PRYJ vide  
their letter No. 797 E/Gaz./CMP/Selection/NCR 2016-17/ PT-2 dated 24.11.2017. This  
has been loaded in NCR website [www.ncr.indianrailway.gov.in](http://www.ncr.indianrailway.gov.in)

Kindly arrange to publish above notification in Hindi and English 'Local Newspaper in  
prayagraj, Jhansi & Agra Division' under advice to this office.

The allocation head is 11214=01. This has the approval of DRM/NCR/PRYJ.

  
(Nitin Singh)

Asst. Personnel Officer  
For Division Railway Manager (P)

Enclosures: As above

**NORTH CENTRAL RAILWAY, PRAYAGRAJ**

**WALK-IN-INTERVIEW FOR DOCTORS**

North Central Railway, Prayagraj Division invites application from the doctors of "Open Market" as well as "Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways)", to engage 06 (Six) full-time Contract Medical Practitioners (CMP) General Duty Doctor in Prayagraj Division on Contract basis for a duration of one year as per details given below:-

SN	Speciality	Vacancy	Place of posting
1	General Duty	01	HU/CNB/Central
2	General Duty	03	SDH/CNB
3	General Duty	01	HU/ETW
4	General Duty	01	HU/MZP

Reservation will be as under:-

	SC	ST	OBC	General	Total
CMP	01	00	02	03	06

**Date, Time & Venue of Walk-in-Interview and Medical examination:**

The interested candidates can appear in the walk in interview and medical examination on following date, time and venue:

Venue	Date	Time
CMS Office, Central Hospital Prayagraj	04.06.2024	10:00 Hrs

Note:-

- Candidates must report in Chief Medical Superintendent's office, 1st floor, Divisional Hospital, Prayagraj latest by 10:00 Hrs On 04.06.2024.
- Candidate must submit their application in duplicate on the prescribed proforma enclose on 04.06.2024 (Tuesday) at the venue of walk in interview.
- In case, the numbers of candidates are more and they cannot be interviewed on the scheduled date/day, they will be interviewed on the next working day/days. As such, if needed, the candidates should make their own arrangement for stay for a period of two days and should come accordingly.

**Essential educational qualification:** MBBS degree (with MCI registration), issued by any recognise University and essential internship should be completed.

**Desirable qualification:** Candidate have postgraduate degree and prior experience will be preferred. All proper educational and working experience documents should be submitted on the day of interview.

**Remuneration for the doctors of open market:** Rs.75,000/- for General Duty Doctor, if Govt. accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided an amount equivalent to the sum of House Rent Allowance and License Fee of the accommodation provided will be deducted.






**Remuneration for Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS Officers (Railways):**Rs. 75,000/- for General Duty Doctor per month fixed {subject to the condition that remuneration + pension drawn by Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways)} should not exceed the last pay drawn, if Govt. accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided an amount equivalent to House Rent Allowance payable to a fresh entrant to Group 'A' Jr. Scale and license fee of the Railway accommodation, so provided shall be deducted from the monthly remuneration payable to the CMP.

**Age for the doctors of open market:-** Candidates should not have completed more than 53 years of age at the time of issuing of the notification. However, age relaxation of 5 years for SC/ST and 3 years for OBC candidates is admissible.

**Age for Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS Officers (Railways):-** Candidates should not have completed more than 67 years of age at the time of issuing of the notification.

**Terms and condition for the doctors of open market:-** The engagement of Doctors would be on contract basis initially for a period of one year, which is extendable on annual basis upto a maximum 12 (twelve) terms or till attaining the age of 65 years whichever is earlier as per administrative requirements on the basis of assessment of performance of CMPs. However, the services of these doctors can be terminated before the expiry of one year after giving 15 days notice on either side. Railway Administration will be at liberty to terminate the contract of the doctor with immediate effect by paying honorarium in lieu of 15 days notice period, if the circumstances, so warrant. The services rendered as contract doctor is a stopgap arrangement and will not have any bearing in respect of consideration of their period in case of their subsequent regular selection through UPSC. It will also not confer upon them any right for regularization or permanent absorption in the Railways. Contract shall also be terminated, if the CMP is found to be mentally or physically incapacitated. **No private practice is allowed.**

**Terms and condition for Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways):-** The engagement of Retired doctors as CMPs shall be for a maximum of 07 (seven) terms or till attaining the age of 67 years whichever is earlier and each term of engagement shall not exceed more than one year, a fresh contract shall be entered. The contract shall be entered into for a period of one year or less from the date of entering into the contract. Period of contract shall not be extendable on any ground. However, the Railway administration shall reserve the right to enter into fresh contract with the Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways) for another term. The engagement shall purely be on contract basis for a period of one year or till the regular incumbent joins or on Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways) attaining the age of 65 years, whichever is earlier. The Retired Government Medical Officers of State Government/Central Government/IRMS officers (Railways) engaged as Contract Medical Practitioner shall not have any claim or right for his/her continuity in service or automatic extension of the term of contract. During the validity of the contract, the CMP shall be at liberty to terminate the contract for betterment of his/her career or on any other grounds by giving 15 days notice to the Railways. The contract can also be terminated by the Railways at any time during the contract by giving 15 days notice without assigning any reason whatsoever. Contract shall also be terminated, if the CMP is found to be mentally or physically incapacitated. **No private practice is allowed.**





Note:-

- (i) The contract Doctors shall not be entitled for Railway quarter etc. as a matter of right. However, if such a quarter is available, they will be provided accommodation. The detailed instructions with regard to their duties while on contract with the Railways, shall be given to them in the event of their selection along with the offer of engagement.
- (ii) Willing candidates should bring their application form along with Original and Attested copies of all Certificates & Mark Sheets, duly filled up on the prescribed format with them. No TA/DA is admissible for this interview.
- (iii) Administration has a right of transfer to selected candidate (s) any time in future from any unit to any unit situated in the jurisdiction to Prayagraj Division, if required. The CMP Specialist Doctors so selected shall also have to carry out general duties as and when required by Railway Administration in addition to their specialty work.
- (iv) If specialists do not turn up or not found suitable for the posts, the post will be filled up by General duty Medical Practitioners.
- (v) The number vacancies may be changed as per requirement of the administration.
- (vi) The notification can be downloaded from N.C. Railway website [www.ncr.indianrailways.gov.in](http://www.ncr.indianrailways.gov.in).  
**About us → Division → Prayagraj Division → Personnel**
- (vii) After approval of the panel by competent authority, the panel will be uploaded on same day at NCR's website [www.ncr.indianrailways.gov.in](http://www.ncr.indianrailways.gov.in). The suitable candidates will be called through speed post/registered letter, Telephone calls and SMS to report in Central Hospital, Prayagraj for posting. The candidates who do not report within the stipulated date and time will forfeit their chance of contract engagement and such engagement will be offered to the next empanelled candidate.
- (viii) The empanelled candidate(s) will undergo medical examination and will execute a "**Contract Agreement**" notarized and duly executed to concerned Personnel Branch before joining the post. In this regard, instructions will be issued in the offer of engagement of the candidate(s).

2

Format of application form for open market doctors

TO,  
DRM/P  
Divisional Office, Nawab Yusuf Road  
N C Railway Pryagraj

1. Name .....
2. Father/Hasband Name.....
3. Permanent Address.....
4. Correspondence Address.....
5. Mobile No.....E-Mail ID.....
6. Date of Birth ...../.....DD.....MM.....YYYY
7. Date of retirement (Retd. Doctor).....
8. Community .....Gen./SC/ST/OBC.....
9. Nationality.....
10. Have you joined in any Railway Hospital as CMP? If yes Provide detail.:.....
11. Educational/Professional Qualification

Exam	Year of passing Exam	Medical College/University	No of attempt	Marks		
				Full Marks	Obtained Marks	Percentage
High school/ Equivalent						
Intermediate/ Equivalent						
MBBS First Year						
MBBS Second Year						
MBBS Third Year Part-1						
MBBS Third Year Part-2						
Overall Percentage marks in MBBS						
PG (MD/MS/Diploma All will be considered equivalent to PG) kindly describe.						

12. Medical Council Registration Number..... State.....
13. Experience if any.....
14. The following certificates are required to be attested by a Gazetted Officer (Original copy is also required along with attested copy.)
  - A recent passport size photograph
  - Certificate for date of birth (High School/equivalent)
  - For general duty candidates, MBBS degree and mark sheet (all parts) and degree/certificate of any other higher medical qualification, if any.
  - Certificate of Internship.
  - Registration number of the Medical Council of India/State.
  - Attempt certificate is mandatory.
  - House job certificate, if any.
  - Certificate related to SC/ST/OBC which has been issued by the competent authority.

I hereby declare that the particulars given in the application are true and correct to the best of my knowledge and belief, I am aware that if any of the information given here is erroneous by mistake or I have concealed anything If so, my service will be terminated and civil criminal legal action can be taken against me. I understand that I am not entitled to any traveling/dearness allowance for this interview.

Place.....

Date.....

Signature of the candidate





**उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज**  
**संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार हेतु अधिसूचना**

उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 06 (छः/सी.एम्.पी) चिकित्सको (सामान्य) को एक वर्ष की अवधि के लिए करार के आधार पर पूर्ण कालीन तौर पर नियुक्त करने हेतु निम्नलिखित विवरण के आधार पर "ओपन मार्केट" के चिकित्सकों एवं केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे.चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-  
रिक्तियों की संख्या-06

क्र.सं.	स्पेशलिस्ट/सा0 ड्यूटी	पदों की संख्या	पदस्थापना का स्थान
2.	सामान्य ड्यूटी	01	हेल्थ यूनिट, कानपुर सेंट्रल
3.	सामान्य ड्यूटी	03	उप मंडलीय चिकित्सालय, कानपुर
4.	सामान्य ड्यूटी	01	हेल्थ यूनिट, इटावा
	सामान्य ड्यूटी	01	हेल्थ यूनिट, मिर्जापुर

पदों का विभाजन निम्नलिखित है:-

	अनु0 जाति	अनु0 ज0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल
सी.एम्.पी.	01	00	02	03	06

साक्षात्कार एवं चिकित्सा परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान:-

अभ्यर्थी को निम्नलिखित तिथि समय एवं स्थान पर साक्षात्कार हेतु उपलब्ध रहना होगा:-

साक्षात्कार	दिनांक	समय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल चिकित्सालय, प्रयागराज	04.06.2024 (मंगलवार)	10 AM

यदि किसी कारणवश संबंधित कोटियों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निर्धारित तिथि पर संपन्न नहीं हो पता तो उनका साक्षात्कार अगले कार्यदिवस पर लिया जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थियों को दो दिन रुकने हेतु स्वयं की व्यवस्था करके आना चाहिए।

**शैक्षिक योग्यता :** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस/ बीडीएस की डिग्री और आवश्यक इंटरनशिप पूर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

**ओपन मार्केट के डॉक्टरों को देय मानदेय :-** यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो रूपया 75,000/- जनरल ड्यूटी प्रतिमाह, यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है, तो हाउस रेंट अलाउंस एवं लाइसेंस फीस के बराबर की रकम की कटौती की जाएगी।

**केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्ति चिकित्सकों को देय मानदेय:-**

यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब रूपया 75000/- जनरल ड्यूटी प्रतिमाह, (बशर्ते कि मानदेय + सेवानिवृत्त डॉक्टरों द्वारा प्राप्त किये जाने वाला पेंशन उनके अंतिम पे डॉन से अधिक नहीं होना चाहिए)। यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो ग्रुप ए कनिष्ठ वेतमान के अधिकारियों को देय

R



हाउस रेंट अलाउंस और रेलवे आवास के लाइसेंस फीस के बराबर की रकम की कटौती सी. एम्.पी. के मासिक मानदेय से की जायेगी।

ओपन मार्केट के चिकित्साकों हेतु आयु:- उम्मीदवार की आयु नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि को 53वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए किन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिए 05 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 03 वर्ष की छूट है।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्ति चिकित्साकों हेतु आयु :- उम्मीदवार की आयु नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ओपन मार्केट में चिकित्सकों हेतु नियम व शर्तें:- डॉक्टरों का अनुभव प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगा, जो प्रशासनिक जरूरत के आधार पर सी.एम.पी. के कार्य क्षमता के आधार पर 12 (बारह) वर्ष की अवधि तक अथवा 65 साल की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध का प्रत्येक टर्म एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा इसके साथ इन डॉक्टरों की सेवाएं एक वर्ष की अवधि से पूर्व भी 15 दिन की नोटिस द्वारा दोनों में से किसी भी पक्ष की तरफ से समाप्त की जा सकती है। रेलवे प्रशासन द्वारा 15 दिनों की नोटिस की परिस्थिति में तत्काल प्रभाव से 15 दिन के बराबर मानदेय दिया सकता है। करार के आधार पर इन डॉक्टरों द्वारा दी गई सेवाएं एक वैकल्पिक व्यवस्था है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन के मामले में इस अवधि को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। इससे रेल सेवा में नियमित अथवा समाहित होने का अधिकार भी नहीं होगा। यदि कोई सी.एम.पी. मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उसे समय भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्ति चिकित्साकों हेतु नियम एवं शर्तें :- सेवानिवृत्ति डॉक्टरों का सी.एम.पी. के रूप में अनुबंध अधिकतम 7(सात) टर्म अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो, तक होगा और प्रत्येक टर्म की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा प्रत्येक टर्म के लिए नया अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध की तिथि से अनुबंध की अवधि एक वर्ष अथवा कम होगी। अनुबंध की अवधि किसी भी आधार पर आगे नहीं बढ़ाई जाएगी यद्यपि रेलवे प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों को दूसरी बार नई संविदा हेतु नियोजन करने हेतु विचार करें। यदि अनुबंध पर से निविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए या नियमित डॉक्टर के ज्वाइन करने तक अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों के 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले होगा। सी.एम.पी. के रूप में अनुबंध किए गए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों के पास अपनी सेवाओं को निरंतर करने करने अथवा टर्म को स्वतः आगे बढ़ाने संबंधित कोई दवा इत्यादि करने का किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा। संविदा की वैधता की अवधि में संविदा के आधार पर डॉक्टर को संविदा अवधि में किसी भी समय यह छूट होगी कि वह अपने करियर की बेहतरी के लिए अथवा अन्य किसी आधार पर रेलवे प्रशासन को 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर संविदा खत्म कर सकता है, रेलवे प्रशासन भी संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर डॉक्टरों को बिना किसी कारण को परिभाषित किया संविदा की समाप्ति कर सकता है। यदि कोई सी.एम.पी. मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम पाया जाता है तो उस समय भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है।



## आवश्यक सूचना:-

- (1) करार के आधार पर नियुक्ति डॉक्टर आधिकारिक रूप से रेलवे क्वार्टर के हकदार नहीं होंगे फिर भी आवासों की उपलब्धता पर उन्हें आवास की व्यवस्था की जा सकती है। रेलवे के साथ करार के दौरान उनकी ड्यूटी के संबंध में विस्तृत निर्देश उनके चयनित हो जाने किस पर नियुक्त पत्र के साथ दिया जाएगा।
- (2) इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्रों की मूल एवं सत्यापित छाया प्रति के साथ संगलन प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर साथ लाये, साक्षात्कार के लिए कोई दैनिक महंगाई/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (3) प्रशासनिक हित में यदि आवश्यक हुआ तो चयनित अभ्यर्थियों को भविष्य में कभी भी किसी भी हेल्थ यूनिट से किसी भी हेल्थ यूनिट जोकि प्रयागराज मंडल के क्षेत्राधिकार में स्थित में स्थानान्तरण करने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित होगा। रेलवे प्रशासन, आवश्यकता पड़ने पर करार के आधार पर चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनके विशेष कार्यों के अतिरिक्त सामान्य ड्यूटी का कार्य भी करा सकता है।
- (4) यदि विशेषज्ञों के पद पर अभ्यर्थी नहीं पाए जाते हैं, तो उनके पदों को सामान्य ड्यूटी के डॉक्टर के पदों से भरा जाएगा।
- (5) प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों के स्थान एवं संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (6) अधिसूचना की प्रति उत्तर में रेलवे की वेबसाइट [www.ncr.indianrailways.gov.in](http://www.ncr.indianrailways.gov.in) About us → Division → Prayagraj Division → Personnel से अपलोड की जा सकती है।
- (7) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पैनल अनुमोदन के उपरांत उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट [www.ncr.indianrailways.gov.in](http://www.ncr.indianrailways.gov.in) पर पैनल उसी दिन अपलोड कर दिया जाएगा उपयुक्त पाए गये उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर डाक/टेलीफोन/ एस.एम.एस. के द्वारा केंद्रित चिकित्सालय, प्रयागराज में पदस्थापना हेतु निर्धारित तिथि एवं समय की सूचना दी जाएगी। जो उम्मीदवार निर्धारित समय या स्थिति पर रिपोर्ट नहीं करेंगे वे अपनी संविदा का अवसर खो देंगे और उनके स्थान पर अगले इम पैनेलड अभ्यर्थी को बुला लिया जाएगा।
- (8) चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग से पूर्व चिकित्सा परीक्षण करना होगा, साथ ही कांटेक्ट एग्रीमेंट जो कि कार्मिक शाखा द्वारा नोटरी रहेगा, भरना होगा इस संबंध में दिशा-निर्देश अभ्यर्थी के ऑफर आफ इंजेमेंट में उल्लेखित कर दिया जाएगा।



ओपन मार्केट के चिकित्सकों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,  
मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक  
मंडल कार्यालय, नवाब सुसूफ रोड  
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

1. नाम स्पष्ट अक्षरों में.....
2. पिता/पति का नाम स्पष्ट अक्षरों में.....
3. स्थाई पता.....
4. पत्राचार का पता.....
5. मोबाइल नंबर वीडियो कॉल हेतु..... ई-मेल आईडी.....
6. जन्मतिथि..... दिन माह वर्ष
7. सेवानिवृत्ति की तिथि (केवल सेवानिवृत्ति डॉक्टर के लिए).....
8. जिस कोटी से हैं (लिखें) सामान्य/अनु0जाति/अनु0ज0जा0/अ0पि0 जा0.....
9. राष्ट्रीयता.....
10. क्या आप किसी रेलवे में संबिदा चिकित्सा के रूप में कार्य कर चुके हैं यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें.....
11. शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता.....

परीक्षा	परीक्षा पास करने का वर्ष	मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय का नाम	एटेम्प्ट्स की संख्या	अंक		
				पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाई स्कूल/ समकक्ष						
इंटरमीडिएट/ समकक्ष						
एमबीबीएस प्रथम वर्ष						
एमबीबीएस द्वितीय वर्ष						
एमबीबीएस तृतीय वर्ष भाग-1						
एमबीबीएस तृतीय वर्ष भाग 2						
एमबीबीएस अंकों का संपूर्ण प्रतिशत						
पीजी (एमडी/एमएस/डिप्लोमा सभी पीजी के समतुल्य माने जाएंगे) कृपया विवरण अंकित करें						

12. चिकित्सा परिषद की पंजीकरण संख्या..... प्रदेश.....
13. अनुभव यदि कोई हो.....
14. निम्नलिखित प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है (सत्यापित प्रति के साथ मूल प्रति भी आवश्यक है )
  - हाल ही में पासपोर्ट आकार का एक फोटो
  - जन्मतिथि के लिए प्रमाण पत्र (हाई स्कूल/समकक्ष)
  - सामान्य झूठी अभ्यर्थियों द्वारा एमबीबीएस की डिग्री एवं अंक पत्र(सभी भाग) तथा यदि कोई अन्य उच्चतर मेडिकल योग्यता हो तो उसकी डिग्री/प्रमाण पत्र।
  - इंटरनशिप का प्रमाण पत्र।
  - भारत/राज्य के चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रेशन संख्या।
  - एटेम्प्ट प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  - हाउस जॉब प्रमाण पत्र यदि हो तो।
  - अनु0जाति/अनु0ज0जा0/अ0पि0 जा0 से संबंधित प्रमाण पत्र जो की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

एन्द द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन में दिए गए विवरण सत्य पूर्ण तथा मेरी जानकारी व विश्वास से सही है, मैं यह जानता हूँ/जानती हूँ कि यदि यहां दी गई जानकारी में से कोई भी भूल से गलत हो या मैंने कुछ छुपाया हो तो मेरी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध सिविल अपराधीक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मैं यह जनता हूँ/जानती हूँ कि मैं इस साक्षात्कार के लिए किसी भी यात्रा/महंगाई भत्ते की हकदार नहीं।

स्थान.....  
दिनांक.....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

